ए.

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।

विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)। (सिविल अपील सं. (एस)। 1117 2009 का) 13 जून, 2022

बी.

[एस**.** अब्दुल नजीर और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 -एस. 96-Or.XLI आर.31 – अपीलार्थी और प्रत्यर्थी भाई और बहन हैं-अन्य बातों के साथ-साथ विभाजन और मद एन. ओ. एस. के रूप में वर्णित संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से के अलग कब्जे का दावा करने वाले प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमा। 1 और 2 (पैतृक संपत्ति) और मद संख्या में वर्णित संपत्तियों में आधा हिस्सा। अभियोग की अनुसूची 'ए' की धारा 3, जिसे अधिभोग अधिकारों के आधार पर अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति कहा जाता है-निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया-प्रत्यर्थी ने अपील दायर की, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी मद संख्या में वर्णित संपत्ति में आधे हिस्से के बजाय एक चौथाई हिस्से का हकदार था। अनुसूची 'ए' की 3, डिक्री को इस हद तक संशोधित किया गया था-की शुद्धता-आयोजितःउच्च न्यायालय ने बहुत ही सरसरी और गूढ़ तरीके से पहली अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया-उसने निचली अदालत द्वारा विचार किए गए साक्ष्य पर विचार नहीं किया-न तो उसने बयानों या रिकॉर्ड पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया और केवल प्रत्यर्थी के एक गंजे बयान पर कि वह अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से भूमि की खेती कर रहा था, यह अभिनिर्धारित किया कि यह एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन गई और तदनुसार, अपीलार्थी के हिस्से को आधे से घटाकर एक चौथाई कर दिया-उच्च न्यायालय ने न तो निर्धारण के लिए बिंदु बनाने में गंभीर त्रुटि की और न ही रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने में, विशेष रूप से जिस पर निचली अदालत द्वारा भरोसा किया गया था-इसके अलावा, तथ्यों पर मामले को उच्च न्यायालय को भेजने का कोई कारण नहीं है-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-निर्णय और डिक्री3 शिकायत में वर्णित अनुसूची 'ए' संपत्ति-इस प्रकार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी उक्त संपत्ति में प्रत्येक आधे हिस्से के हकदार होंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 -एस. 96-Or.XLI आर.31 – प्रथम अपीलीय न्यायालय का दायरा, शक्ति और कर्तव्य-चर्चा की गई।

एच.

668

669

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)।

ए.

संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी **(2001) 3** एस**.** सी**.** सी**.[2001] 1** एससीआर **948;** एच**.** के**.** एन**.** स्वामी बनाम इरशाद बसिथ**, (2005) 10** एस**.** सी**.** सी**. 243;** विनोद कुमार बनाम गंगाधर **(2015)**

1 एससीसी 391:[2014] 10 एस. सी. आर. 1050; मंजुअल और अन्य

बनाम श्यामसुंदर और अन्य **(2022) 3** एस**.** सी**.** सी**. 90-**आश्रित

पर।

बी.

कुरियन चाको बनाम वर्की औसेफ एयर 1969 केर 316 -

मंजूरी दे दी गई।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 1 एससीआर **948**

उस पर भरोसा करें

पैरा **29.1**

सी.

उस पर भरोसा करें

पैरा **29.3**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.1117

2009.

2004 के आर. एफ. ए. No.214 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

डी.

नवीन आर. नाथ, सुश्री सौम्या टंडन, सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

जी. वी. चंद्रशेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता, एन. के. वर्मा, सुश्री अपेक्षा डी., सुश्री अंजना चंद्रशेखर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ**,** जे।

1. अपीलार्थी एकमात्र प्रत्यर्थी की अपनी बहन होती है।उनके पिता पुट्टन्ना को अपने पिता से कुछ संपत्तियां विरासत में मिली थीं जो पैतृक संपत्तियां थीं और जिन्हें आइटम एन. ओ. एस. के रूप में वर्णित किया गया है। शिकायत के लिए अनुसूची 'ए' के 1 और 2, जबकि मद संख्या में वर्णित संपत्ति। 3 पर कब्जा अधिकारों के आधार पर पुट्टन्ना की स्व-अर्जित संपत्ति होने का आरोप लगाया गया था।जहाँ तक अनुसूची 'ख' में वर्णित संपत्ति है, वह प्रत्यर्थी की थी जिसे अपीलार्थी ने खरीदने का दावा किया था।

एफ.

जी.

2. अपीलार्थी सिटी सिविल जज, बैंगलोर के न्यायालय में स्थापित 1991 के ओएस नंबर 2506 में वादी है, जिसमें एकमात्र प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी (अपीलार्थी का भाई) है।मुख्य रूप से, उक्त मुकदमे में दो राहतों का दावा किया गया था; सबसे पहले एक विभाजन और मद एन. ओ. एस. में वर्णित संपत्तियों में 1⁄4 (एक चौथाई) हिस्से का अलग कब्जा। मद संख्या में वर्णित संपत्ति में 1 और 2 और 1⁄2 (आधा) हिस्सेदारी। अनुसूची 'ए' के 3

एच.

ए.

वादी को दूसरी राहत जो मांगी गई थी, वह अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री और वादी को अनुसूची 'बी' में वर्णित संपत्ति के संबंध में दिनांक 25.05.1981 की बिक्री के लिए थी।

3. अपीलार्थी द्वारा स्थापित दावा यह था कि मद एन. ओ. एस. में वर्णित गुण। अनुसूची 'ए' में 1 और 2 पैतृक संपत्तियां थीं और इसलिए, 1974 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, वह 1⁄4 हिस्से की हकदार होगी और इसके अलावा वह संपत्ति जिसे मद संख्या के रूप में वर्णित किया गया है।3 अनुसूची 'ए' पर विशेष रूप से उसके पिता का कब्जा था, जिन्होंने राजस्व अधिकारियों के समक्ष रहने वाले के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया था और यह उस समय लंबित था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी।बाद में, प्रत्यर्थी द्वारा मुकदमा चलाया जाना जारी रखा गया और यह आदेश दिया गया कि उसका नाम रहने वाले के रूप में दर्ज किया जाए क्योंकि वह 1⁄2 हिस्से की हकदार होगी।अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत के संबंध में, यह आरोप लगाया गया था कि उसने रुपये की राशि का भुगतान किया था। सर्वेक्षण सं. में 1 एकड़ और 10 गुंटा की खरीद के लिए 12,000/- रुपये। 60 बैंगलोर दक्षिण तालुक के कृष्णराजपुरा होबली के दवासांद्रा गाँव में स्थित है और जिसके लिए दिनांकित 25.05.1981 बेचने का समझौता किया गया था।प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को उक्त संपत्ति के कब्जे में रखा था।बाद में, उन्होंने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया, इसके बावजूद कि अपीलार्थी हमेशा तैयार रहता था और समझौते के प्रति अपने दायित्व का पालन करने के लिए तैयार रहता था।

बी.

सी.

डी.

4. प्रत्यर्थी ने मुकदमे का विरोध किया, लिखित बयान दायर किया और शिकायत में किए गए दावों का खंडन किया।प्रत्यर्थी के अनुसार उसके पिता पहले ही अपीलार्थी की शादी पर पर्याप्त राशि खर्च कर चुके थे।उन्हें एक लाख रुपये के गहने भी दिए गए। 50, 000/- और रु। 8, 000/- एक स्टेशनरी-कम-कॉफी की दुकान स्थापित करने के लिए।लिखित बयान में किए गए अन्य दावे इस आशय के थे कि अपीलार्थी को अपने पिता की बचत तक पहुंच थी और उसने गुप्त रूप से अपने और अपने पिता दोनों की बचत का उपयोग अपने पति के नाम पर संपत्ति खरीदने में किया था।लिखित कथन के पैराग्राफ 15 में, अपीलार्थी द्वारा अर्जित संपत्ति और उनके पिता से प्राप्त संपत्ति के संबंध में और विवरण का उल्लेख किया गया है।5.

हालाँकि, प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि आइटम एन. ओ. एस. में वर्णित गुण। अनुसूची 'ए' के 1 और 2 पैतृक संपत्तियाँ थीं।यह आगे कहा गया है कि वस्तु संख्या में वर्णित संपत्ति। शिकायत की अनुसूची 'ए' के 3 को उनके और उनके पिता द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था और अपने पिता की मृत्यु के बाद, वे विशेष रूप से उसी की खेती कर रहे थे और मैसूर (धार्मिक और धर्मार्थ) इनाम उन्मूलन अधिनियम, ए के आने पर।

ई.

एफ.

जी.

एच.

671

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)। [विक्रम नाथ, जे।] ए.

1955 1 , वह अधिभोग अधिकारों का हकदार बन गया और तदनुसार इसके लिए आवेदन किया, जिसे मंजूरी दे दी गई।इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने बेचने के कथित समझौते से इनकार किया और कहा कि यह एक झूठा और मनगढ़ंत दस्तावेज था और उसे कभी भी कोई प्रतिफल राशि नहीं मिली जैसा कि अपीलार्थी ने आरोप लगाया था।इस तरह की दलीलों पर, यह प्रार्थना की गई थी कि मुकदमे को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज कर दिया जाए।

बी.

6. पार्टियों ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य का नेतृत्व किया।XIX अतिरिक्त सिटी सिविल जज, बैंगलोर ने 02.09.2003 के फैसले और आदेश के माध्यम से यह घोषणा करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि अपीलार्थी आइटम एन. ओ. एस. के रूप में वर्णित संपत्तियों में 1⁄4 हिस्से का हकदार था। मद संख्या में 1 और 2 और 1⁄2 भाग दें।3. अनुसूची 'ए' के लिए और सीमा और सीमा द्वारा अलग-अलग कब्जे के लिए।इसने प्रत्यर्थी को शिकायत की अनुसूची 'बी' में वर्णित संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख को निष्पादित करने का निर्देश दिया।

सी.

7. प्रत्यर्थी ने 2004 के आर. एफ. ए. सं. 214 के रूप में पंजीकृत कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 2 की धारा 96 के तहत अपील की।उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत छोड़ दी।उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.08.2006 के निर्णय और आदेश के माध्यम से आइटम एन. ओ. एस. में वर्णित

संपत्ति में अपीलार्थी के 1⁄4 हिस्से को बरकरार रखा। अनुसूची 'ए' के 1 और 2।हालाँकि, यह प्रत्यर्थी के इस तर्क से सहमत था कि वस्तु संख्या में वर्णित संपत्ति। अनुसूची 'ए' के 3 को प्रतिवादी और उसके पिता द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, और इसलिए, अपने पिता की मृत्यु पर, प्रतिवादी को अपना आधा हिस्सा मिलेगा और उसके पिता का शेष आधा हिस्सा उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जाएगा, यानी उसकी बेटी को और उसके बेटे को।इस प्रकार, अपीलार्थी मद सं. में वर्णित संपत्ति में 1⁄4 हिस्से का हकदार होगा। अनुसूची 'ए' का 3 और न कि 1⁄2 हिस्सा जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है।इस सीमित सीमा तक विचारण न्यायालय की डिक्री को संशोधित किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

8. उसी से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने मद सं. में वर्णित संपत्ति के संबंध में अपने हिस्से को 1⁄2 से घटाकर 1⁄4 करने के संबंध में वर्तमान अपील दायर की है। अनुसूची 'ए' का 3.विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिए गए 1⁄4 हिस्से के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कोई अपील नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा मद संख्या के संबंध में पुष्टि की गई है।1 और अनुसूची 'ए' की 2 संपत्तियाँ।

जी.

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह न्यायालय, नोटिस जारी करते हुए

1 संक्षेप में "इनाम अधिनियम" 2 संक्षेप में "सीपीसी"

एच.

आई. डी. 1 दिनांकित आदेश ने इसे संपत्ति की अनुसूची 'ए' की वस्तु संख्या 3 में पक्षों के शेयरों के प्रश्न तक सीमित कर दिया था।

10. इस प्रकार एकमात्र मुद्दा जो हमारे विचार और निर्णय के लिए जीवित रहता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी मद संख्या में वर्णित संपत्ति में 1⁄2 हिस्से या 1⁄4 हिस्से का हकदार है। अनुसूची 'ए' की 3 संपत्ति जिस पर इनाम अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकारों का दावा किया गया था।मद एन. ओ. एस. में 1⁄2 हिस्सेदारी के संबंध में अपीलार्थी का शेष दावा।

अनुसूची 'ए' और अनुसूची 'बी' की 1 और 2 संपत्तियां उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील के चरण में बंद हैं।

बी.

11. निचली अदालत ने छह (6) मुद्दे तैयार किए, जो इस प्रकार हैं:- "1. क्या वादी यह साबित करता है कि वाद संपत्ति उसकी और प्रतिवादी की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है?

सी.

2. क्या वादी यह साबित करता है कि प्रतिवादी ने 25.05.81 पर Rs.12,000/- की बिक्री पर विचार के लिए वादी के पक्ष में 'बी' अनुसूची संपत्ति के संबंध में एक समझौते को निष्पादित किया?

डी.

3. क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है?

4. क्या मुकदमे को उचित रूप से महत्व नहीं दिया गया है और न्यायालय शुल्क का भुगतान अपर्याप्त है?

5. क्या वादी वाद राहत का हकदार है?6. कौन सा आदेश या फरमान?"

ई.

12. इस मुद्दे से निपटने के दौरान नं.1, विचारण न्यायालय अभिलिखित करता है कि यद्यपि प्रतिवादी-प्रत्यर्थी ने मद संख्या में अपीलार्थी के अधिकार, अधिकार और हित से इनकार किया है।1 और अनुसूची 'ए' संपत्तियों के 2, लेकिन यह स्वीकार करते हुए कि उनके पिता पुट्टन्ना मद संख्या में सफल रहे।1 और 2, और यह कि वे पैतृक संपत्तियाँ थीं, इस प्रकार, अपीलार्थी मद संख्या में 1⁄4 (एक चौथाई) हिस्से का हकदार होगा।1 और अनुसूची 'ए' की 2 संपत्तियाँ।इस निष्कर्ष की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी अपील में की गई है और क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा आइटम संख्या के संबंध में आगे कोई अपील नहीं की गई है।1 और अनुसूची 'ए' संपत्तियों की 2, अपीलार्थी को उस सीमा तक दी गई राहत को अंतिम रूप दिया गया है और बंद कर दिया गया है।

एफ.

जी.

13. अब आइटम नं. पर आते हैं। अनुसूची 'ए' संपत्ति की 3, यह एक देवदय इनामती भूमि थी।पार्टियों के पिता पुट्टन्ना के जीवन काल के दौरान, वह पंचशाला गुट्टा के आधार पर उसी की खेती कर रहे थे और इनाम अधिनियम के आने पर, पुट्टन्ना ने विशेष उपायुक्त, इनाम ए के समक्ष अधिभोग अधिकार देने के लिए एक आवेदन दायर किया।

एच.

673

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)। [विक्रम नाथ, जे।] ए.

उन्मूलन, बैंगलोर।बाद में, उक्त मामला भूमि न्यायाधिकरण, बैंगलोर के समक्ष आया और उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, पुट्टन्ना की मृत्यु हो गई।इसके बाद, प्रत्यर्थी रिकॉर्ड में आया और उसने पुट्टन्ना द्वारा अधिभोग अधिकारों के लिए दायर आवेदन को आगे बढ़ाया, जो अंततः उसके पक्ष में दिया गया।

14. प्रत्यर्थी ने एक विशिष्ट दावा किया था कि वह वस्तु संख्या की खेती कर रहा था।3 अनुसूची 'क' संपत्ति के व्यक्तिगत रूप से और अकेले उसने अधिभोग अधिकारों के लिए आवेदन किया था और उसे उसके नाम पर दिए जाने के कारण, यह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति बन गई।

बी.

15. विचारण न्यायालय ने मद सं. के संबंध में पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की।3 अनुसूची 'ए' संपत्ति।इसने नोट किया कि अपीलार्थी (P.W.-1) ने कहा था कि उक्त संपत्ति की खेती व्यक्तिगत रूप से पक्षों के पिता पुट्टन्ना द्वारा की गई थी, जो पंचशाला गुट्टा के आधार पर देवदय इनामती की कृषि भूमि थी।पुट्टन्ना ने 17.04.1971 पर इनाम अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन किया था।हालाँकि, जब मामला कर्नाटक भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था, तब पुट्टन्ना की मृत्यु हो गई।प्रत्यर्थी ने स्वयं को स्वर्गीय पुट्टन्ना के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया और उसके बाद, उन्हें भूमि न्यायाधिकरण द्वारा अधिभोग अधिकार प्रदान किए गए।ट्रायल कोर्ट ने आगे देखा कि अधिभोग अधिकार प्रकृति में वंशानुगत थे और यही कारण है कि पुट्टन्ना की मृत्यु के बाद, प्रत्यर्थी अपना नाम प्रतिस्थापित कर सकता था और अधिभोग अधिकार प्राप्त करने में भी सफल रहा, लेकिन तथ्य यह है कि पुट्टन्ना की मृत्यु पर, मद संख्या।3 अनुसूची 'क' की संपत्ति, प्रकृति में वंशानुगत होने के कारण, उसके दोनों बच्चों यानी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को विरासत में मिलेगी और कानून के तहत, वे दोनों 1⁄2 (आधा) हिस्से के हकदार होंगे।उक्त संपत्ति को पुट्टन्ना की स्व-अर्जित संपत्ति माना जाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. ट्रायल कोर्ट ने आगे एक्स. टी. एस. पर विचार किया।पी-2 से पी-36, जो पंचशाला गुट्टा के भुगतान की रसीदें थीं और पुट्टन्ना द्वारा राजस्व अर्थात यह कहने के लिए कि पुट्टन्ना पूरे समय आइटम नं।3 पंचशाला गुट्टा के आधार पर अनुसूची 'ए' संपत्ति।एक्स. ट्रायल कोर्ट द्वारा पी-37 पर भी भरोसा किया गया था, जो आर. टी. सी. उद्धरण का एक दस्तावेज था जो यह दर्शाता था कि उक्त भूमि को इनाम भूमि के रूप में दर्ज किया गया था और पुट्टन्ना उसी पर खेती कर रहा था।बाहर।पी-2 से पी-36 से पता चलता है कि पुट्टन्ना 1955 से लगातार उक्त भूमि पर खेती कर रहा था।बाहर।पी-38 और पी-39 उन आवेदनों की प्रतियां थीं, जिन्हें स्वर्गीय पुट्टन्ना ने विशेष उपायुक्त, इनाम उन्मूलन, बैंगलोर के समक्ष दायर किया था।बाहर।पी-40 और पी-41 राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिसों की प्रतियां थीं।

जी.

एच.

उसे अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए अपने आवेदनों पर विचार करने के लिए उपस्थित होने का आह्वान करना।इसके अलावा, एक्सटीएस।पी-42 और पी-43 जी. के. गुरुनाथ और भूमि न्यायाधिकरण, बैंगलोर के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए बयानों की प्रतियां थीं।एक्स. पी-44 एक नरसिम्हा और एक्स्ट का कथन है। पी-45 भूमि न्यायाधिकरण, बैंगलोर का आदेश है जो प्रत्यर्थी के पक्ष में अधिभोग अधिकार प्रदान करता है।

बी.

17. ट्रायल कोर्ट प्रत्यर्थी के बयान पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा, जिसने डीडब्ल्यू-1 के रूप में गवाह बॉक्स में प्रवेश किया।उन्होंने एक मामला स्थापित किया था कि वह संयुक्त रूप से आइटम नं.3 अपने पिता के साथ अनुसूची 'ए' की संपत्ति और इस तरह, अपने पिता की मृत्यु के बाद, वह विशेष रूप से उक्त भूमि पर खेती कर रहा था।उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने विशेष उपायुक्त के समक्ष अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन किया था और इस तरह, उनके नाम पर अधिकार दिए गए थे।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी के पास संयुक्त रूप से आइटम नं.3 अनुसूची 'ए' संपत्ति।उन्होंने दावा किया कि उक्त संपत्ति उनकी स्व-अर्जित है।

सी.

18. ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यर्थी (डी. डब्ल्यू.-1) से जिरह पर चर्चा की।विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी (डी. डब्ल्यू.-1) के प्रतिपरीक्षा के प्रवेश को इस प्रकार देखाः

डी.

“(i) पंचशाला गुट्टा के आधार पर पुट्टन्ना को 'ए' अनुसूची संपत्ति की वस्तु संख्या 3 दी गई थी।

((ii) पुट्टन्ना अपने जीवनकाल में राजस्व का भुगतान कर रहे थे और उक्त भूमि पर खेती कर रहे थे।

ई.

(iii) प्रत्यर्थी ने कब्जे के अधिकार देने के लिए पुट्टन्ना द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया था।(iv) भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष, प्रत्यर्थी डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा है कि उसके पिता पुट्टन्ना उक्त संपत्ति पर खेती कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद, वह कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते अधिभोग के अधिकारों का दावा कर रहे हैं।”

एफ.

19. ट्रायल कोर्ट ने आगे नरसिंहैया के बयान पर भरोसा किया, जिसे एक्सटेंट के रूप में चिह्नित किया गया था। पी-44, भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पुट्टन्ना को जानते थे, और वह उक्त भूमि पर खेती कर रहे थे।

जी.

20. विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि अधिभोग अधिकार प्रदान करने वाला आदेश भी भूमि न्यायाधिकरण (विस्तार। पी-45) स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि प्रत्यर्थी इस तथ्य के आधार पर अधिभोग के अधिकारों का दावा कर रहा था कि उसके पिता भूमि पर खेती कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद, वह अपने कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि होने के नाते अधिभोग के अधिकारों का हकदार है।

एच.

675

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)। [विक्रम नाथ, जे।] ए.

ए.

21. ऐसी सामग्री पर, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मद सं।3 अनुसूची 'ए' संपत्ति खुद पुट्टन्ना का अधिग्रहण था और यह कि उनकी मृत्यु के बाद, यह उनके

उत्तराधिकारियों, दोनों उनके बच्चों, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा समान शेयरों में विरासत में प्राप्त की जाएगी।

22. उपरोक्त निष्कर्षों पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के दावे को मद संख्या में आधा हिस्सा होने का फैसला सुनाया।3 अनुसूची 'ए' संपत्ति का निर्णय दिनांक 02.09.2003 के अनुसार।

बी.

23. प्रत्यर्थी ने 2004 की आर. एफ. ए. संख्या 214 के रूप में पंजीकृत धारा 96 सी. पी. सी. के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने अनुसूची 'बी' संपत्ति के संबंध में प्रदर्शन के विशिष्ट संबंध में अपना दावा छोड़ दिया।उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.08.2006 के निर्णय के माध्यम से मद संख्या के संबंध में अपीलार्थी को 1⁄4 हिस्सेदारी से संबंधित निष्कर्ष की पुष्टि की।1 और अनुसूची 'ए' की 2 संपत्तियाँ। हालाँकि, इसने मद सं. से संबंधित विचारण न्यायालय की डिक्री को संशोधित किया।3 अपीलार्थी के हिस्से को 1⁄2 से घटाकर 1⁄4 करके अनुसूची 'ए' संपत्ति।24. उच्च न्यायालय ने बहुत ही सरसरी और गूढ़ तरीके से पहली अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।इसने निचली अदालत द्वारा विचार किए गए साक्ष्य पर विचार नहीं किया।न तो इसने बयानों या अभिलेख पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के साथ व्यवहार किया और केवल प्रत्यर्थी के एक गंजे बयान पर, जिसके अनुसार, भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में उल्लेख किया गया था कि प्रत्यर्थी अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर खेती कर रहा था, यह अभिनिर्धारित किया कि यह एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन गई और तदनुसार, अपीलार्थी के हिस्से को आधा से घटाकर आधा कर दिया गया।25. विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई एकमात्र चर्चा यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई हैः

सी.

डी.

ई.

“प्रतिवादी का तर्क कि संपत्ति वादी को उसके पिता के जीवनकाल के दौरान दी गई थी। इसलिए, उत्तराधिकार के माध्यम से अपने पिता की संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं होना एक असमर्थनीय विवाद है और एक परीक्षण योग्य बचाव नहीं है।उसके जीवनकाल के दौरान उसे जो भी संपत्तियां उपहार में दी गईं, वे वादी की अलग संपत्तियां हैं और ऐसा उपहार/कार्य पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के रूप में हिस्सेदारी मांगने के वादी के अधिकार से वंचित नहीं करता है।'ए' अनुसूची संपत्ति की मद संख्या 3 एक कृषि भूमि है और यह वादी के पिता द्वारा खेती की गई देवदय इनामथी भूमि थी।उन्होंने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए प्रपत्र संख्या 1 में आवेदन किया था।प्रतिवादी ने इस संबंध में अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए प्रपत्र संख्या 7 में भी आवेदन किया।

एफ.

जी.

एच.

676

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

उसी भूमि से।Ex.P-5 भूमि न्यायाधिकरण का आदेश है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक बयान दिया था कि भूमि की खेती स्वयं और उसके पिता द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।इसलिए, यह एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन जाती है।

उस दृष्टिकोण से, पिता की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी और उसके पिता प्रत्येक 1-1/2 के काल्पनिक हिस्से के हकदार हैं और वादी 'ए' अनुसूची संपत्ति की वस्तु संख्या 3 में एक चौथाई हिस्से का हकदार होगा, न कि आधे हिस्से का जैसा कि दावा किया गया है।"

बी.

26. सी. पी. सी. की धारा 96 मूल डिक्री से अपील दायर करने का प्रावधान करती है।सी. पी. सी. के आगे के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 31 में प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले की सामग्री प्रदान की गई है।इसके अनुसार, अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें निर्धारण के लिए बिंदु, उस पर निर्णय, निर्णय के कारण और जहां डिक्री उलट या भिन्न है, वह राहत शामिल होगी जिसके लिए अपीलार्थी हकदार है।सी. पी. सी. की धारा 96 और आदेश एक्स. एल. आई. नियम 31 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

सी.

डी.

" धारा 96-मूल डिक्री से अपील।

(1) सिवाय इसके कि जहां इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से ऐसे न्यायालय के निर्णयों से अपील सुनने के लिए अधिकृत न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अपील की जाएगी।

ई.

(2) एकतरफा पारित मूल डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।(3) पक्षकारसभक सहमतिसँ न्यायालय द्वारा पारित आदेशक विरुद्ध कोनो अपील नहि होयत।

एफ.

(4) कानून के प्रश्न के अलावा, लघु कारणों के न्यायालयों द्वारा संज्ञेय प्रकृति के किसी भी मुकदमे में डिक्री से कोई अपील नहीं होगी, जब मूल मुकदमे के विषय-वस्तु की राशि या मूल्य 2 [दस हजार रुपये से अधिक नहीं है।]"

जी.

आदेश एक्स**.** एल**.** आई**.** नियम **31**

"निर्णय की सामग्री, तिथि और हस्ताक्षर "

अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें कहा जाएगा-(ए) निर्धारण के लिए बिंदु; (बी) उस पर निर्णय; (सी) निर्णय के कारण; और (डी) जहां डिक्री ने ए

एच.

677

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)। [विक्रम नाथ, जे।] ए.

जिस राहत का अपीलार्थी हकदार है और जिस समय यह घोषित किया जाता है, उस पर न्यायाधीश या उसमें सहमति देने वाले न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और दिनांकित किया जाएगा।"

27. यह निर्णयों के एक समूह में बहस का विषय रहा है कि आदेश एक्स. एल. आई. नियम 31 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 96 सी. पी. सी. के तहत अपील पर निर्णय लेने में प्रथम अपीलीय न्यायालय का दायरा, शक्ति और कर्तव्य क्या होगा। हम संक्षेप में इस मुद्दे पर कानून पर चर्चा करते हैं।

बी.

28. विद्वान न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर, जे.

1969 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश] के बीच मामले का फैसला करते हुए

कुरियन चाको बनाम वर्की औसेफ **3,** एक समान निर्णय से निपटते हुए

प्रथम अपीलीय न्यायालय का, जिसका एक संक्षिप्त आदेश द्वारा निपटारा किया गया था, निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया गयाः

सी.

“...2.एक अपीलीय न्यायालय आम तौर पर तथ्य का अंतिम न्यायालय होता है और इसलिए एक वादी अपीलीय स्तर पर साक्ष्य के पूर्ण और निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार का हकदार होता है।इससे कम कुछ भी उनके लिए अन्यायपूर्ण है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश एक अपीलीय न्यायालय के रूप में उनसे जो उम्मीद की जाती है, उससे बहुत कम हो गया है।”

डी.

29. उपरोक्त के बाद, इस न्यायालय द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं;

ई.

29.1 संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी **4 (**प्रासंगिक**)**

पैरा 15) का हिस्सा नीचे दिया गया हैः“15...अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है।पहली अपील पक्षों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तब तक पूरा मामला तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर फिर से सुनवाई के लिए खुला है।सामने रखी गई दलीलों के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर, और पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए दबाव डाले जाने पर, कारणों द्वारा समर्थित मन का निर्णय और अभिलेख निष्कर्ष।... तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा सौंपे गए तर्क के साथ निकटता से आना चाहिए और फिर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के कारण निर्धारित करने चाहिए।यह अदालत को एक और अपील की सुनवाई करते हुए संतुष्ट करेगा कि पहली अपीलीय अदालत ने उससे अपेक्षित कर्तव्य का निर्वहन किया था।”

एफ.

जी.

3 एयर 1969 केर 316

4 (2001) 3 एस. सी. सी. 177 पैरा 15

एच.

29.2 एच**.** के**.** एन**.** स्वामी बनाम। इरशाद बेसिथ **5,** यह अदालत फिर से

फैसले के पैराग्राफ 3 में इसी सिद्धांत को दोहरायाः“3. पहली अपील का निर्णय तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी किया जाना है।पहली अपील में पक्षों को सभी मुद्दों पर कानून के

प्रश्नों पर सुनवाई करने और कारण बताकर मामले का फैसला करने का अधिकार है।दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में तथ्यों या कानून पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठना उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह स्वामित्व के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले सभी मुद्दों और पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य से निपटे।"

बी.

29.3 2015 में, इस न्यायालय ने फिर से विनोद कुमार बनाम गंगाधर 6 मामले में पिछले निर्णय पर विचार करते हुए पैरा 18 और 19 में अपना विचार दर्ज किया, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

सी.

"18. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और/या प्रत्यर्थी द्वारा आग्रह किए गए किसी भी निवेदन पर विचार नहीं किया और न ही उसने अपील के आधार पर अपीलार्थी द्वारा लिए गए आधारों पर ध्यान दिया और न ही तय किए गए कानूनी सिद्धांतों के आलोक में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करने का कोई प्रयास किया और यह पता लगाने के लिए कि क्या विचारण न्यायालय के निर्णय को बनाए रखा जा सकता है या नहीं और यदि ऐसा है, तो कैसे और यदि नहीं, तो क्यों।

डी.

ई.

19. पहली अपीलीय अदालत होने के नाते, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह ऊपर उल्लिखित आदेश 41 नियम 31 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 96 के तहत उसे प्रदत्त दायरे और शक्तियों को ध्यान में रखते हुए पहली अपील का फैसला करे।दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका तथ्यों और कानून पर पहली अपील में मुकदमा चलाने का मूल्यवान अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, जिसने बदले में उसे कानून के अनुसार अपील में सुनवाई से वंचित कर दिया।यही कारण है कि हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।" 29.4 हाल ही में, इस न्यायालय ने 2022 में (जिसमें हममें से एक, भाई अब्दुल नजीर, जे. सदस्य थे) मंजुअल और अन्य बनाम श्यामसुंदर और अन्य 7 में, अपने पैरा 8 में इसी विचार को दोहराया, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

एफ.

जी.

5 (2005) 10 एससीसी 243 6 (2015) 1 एससीसी 391 7 (2022) 3 एससीसी 90 ए

एच.

सोमक्का (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा के. पी. बासवराज (मृत)। [विक्रम नाथ, जे।] ए.

“8. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से अपील दायर करने का प्रावधान करती है।सी. पी. सी. का आदेश 41 नियम 31 अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय अदालत को दिशा-निर्देश प्रदान करता है।यह नियम अनिवार्य करता है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय में कहा जाएगा कि

बी.

(ए) निर्धारण के लिए अंक;

((ख) उस पर निर्णय;

(ग) निर्णय के कारण; और

((घ) जहां अपील की गई डिक्री को उलट दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, वहां वह राहत जिसका अपीलार्थी हकदार है।

सी.

इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है।यह स्थापित विधि है कि एक अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता है।अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कानून के साथ-साथ तथ्य के प्रश्नों पर अपील की पुनः सुनवाई शामिल है।पहली अपील एक मूल्यवान अधिकार है, और उस स्तर पर, निचली अदालत द्वारा तय किए गए तथ्य और कानून के सभी प्रश्न पुनर्विचार के लिए खुले हैं।इसलिए, अपीलीय न्यायालय के निर्णय में विवेकपूर्ण प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और सभी मुद्दों के संबंध में अपने निर्णय के कारणों के साथ-साथ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत और दबाए गए तर्कों के आधार पर न्यायालय के निष्कर्षों को दर्ज करना चाहिए।कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 31 सी. पी. सी. की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है और इन आवश्यकताओं का पालन न करने से निर्णय में दुर्बलता आती है।”

डी.

ई.

एफ.

30. प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य, दायरे और शक्तियों पर उपरोक्त तय किए गए कानूनी सिद्धांतों से, हमारा दृढ़ विचार है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय ने न तो निर्धारण के लिए बिंदु बनाने में और न ही अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने में गंभीर त्रुटि की है, विशेष रूप से जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

जी.

31. अगला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि जहां अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार न करने के आधार पर दरकिनार किया जा रहा है, तो मामले को आम तौर पर प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेजे जाने की आवश्यकता होगी, चाहे वह तथ्यों और तथ्यों में हो।

एच.

परिस्थितियों में इस मामले में रिमांड की आवश्यकता होती है।वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि मुकदमा वर्ष 1991 में तीन दशक से अधिक समय पहले शुरू किया गया था; निचली अदालत द्वारा चर्चा किए गए साक्ष्य न तो विवादित हैं और न ही प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ध्वस्त किए गए हैं।इस प्रकार, हमें मामले को उच्च न्यायालय में भेजने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है।हमारा विचार है कि मुकदमे को शांत करने और पक्षों को किसी भी और उत्पीड़न से राहत देने के लिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं और निचली अदालत के फैसले और डिक्री की पुष्टि करते हैं, जिस हद तक यह मद संख्या से संबंधित है। वादी में वर्णित अनुसूची 'ए' संपत्ति के 3, अर्थात यह कहना कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी उक्त संपत्ति में प्रत्येक 1⁄2 हिस्सेदारी के हकदार होंगे। तदनुसार विचारण न्यायालय विभाजन की अंतिम डिक्री के लिए कार्यवाही तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

बी.

सी.

32. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राखी, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.